

दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली
कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता : श्री नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री राम अवतार
आर.टी.आई कम्प संख्या : 10608- ए दिनांक 09/01/2023
अपील कम्प संख्या : 18 दिनांक 13/03/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारियों के द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-3 व 14 से ज्ञापन प्राप्त नहीं हुए हैं तथा जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- 1, 2, 4, 10, 13 व 15 के द्वारा प्रश्न संख्या-12 तथा जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-(प्रथम), कारागार मुख्यालय, तिहाड़ के द्वारा प्रश्न संख्या- 1 से 4, 10, 13 व 17 में प्रदान किए ज्ञापन संतोषजनक नहीं हैं।

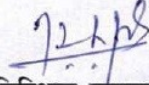
उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- 3 व 14 के द्वारा प्रथम अपील के संज्ञान में आने के पश्चात् अपीलकर्ता को ज्ञापन प्रदान कर दिये गये हैं। जबकि प्रश्न संख्या- 1 से 4, 10, 13 व 17 में जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-प्रथम (कारागार मुख्यालय), तिहाड़ द्वारा प्रदान किया ज्ञापन संतोषजनक है।

प्रश्न संख्या- 12 के लिए संबंधित जन सूचना अधिकारियों/अधीक्षकों द्वारा विभिन्न कारणों से जानकारी को प्रदान न किए जाने के संबंध में सूचित किया गया है। हालांकि, पैनलमेंट की संख्या की जानकारी प्रदान की जा सकती है जिससे किसी सुरक्षा की हानि का अंदेशा नहीं है।

अतः सभी संबंधित जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-1 से 5, 8, 10, 13 से 15 को आदेश दिया जाता है कि प्रश्न संख्या- 12 में अपीलकर्ता को पैनलमेंट की संख्या की जानकारी इस आदेश की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर उपलब्ध कराए।

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।


उप महानिरीक्षक कारागार /
प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री राम अवतार

F10(3476489)/ID-10608-A/CJ/Legal/2023/21012/ Dated: 29/03/2023
आवश्यक सूचना/कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि:- 2433-43

1. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-1 से 5, 8, 10, 13, 14 व 15.
2. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-(प्रथम), कारागार मुख्यालय, तिहाड़, नई दिल्ली.